

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 851/13

संस्थित दिनांक -24/09/13

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना गढ़ी
 जिला-बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

बल्लमदास पिता तिलकदास उम्र 35 वर्ष
 जाति पनिका साकिन आमगहन थाना-गढ़ी
 जिला-बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 17/05/2017 को घोषित }

01. अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 294, 323, 506 भाग-दो, के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.09.2013 को समय दिन 04:00 बजे ग्राम आमगहन कच्चारोड अंतर्गत थाना गढ़ी में परिवादी दरबारी को क्षोभ कारित करने के आशय से मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी दरबारीसिंह द्वारा थाना गढ़ी में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 03.09.13 को खेत में रखी लकड़ी लेने गया था तो दो लकड़ी न होने पर उसने करीब चार बजे दिन में गांव के बल्लमदास से लकड़ी के संबंध में पूछताछ की जिस पर बल्लमदास ने चोरी का ईल्जाम लगाने की बात पर उसे मां बहन की गद्दी-गंदी गालियां देकर अपने फाटक की लकड़ी से दोनो पैरों की पिंडली में मारा जिसके पश्चात आवाज सुनकर उसका लड़का राजेन्द्र भी लकड़ी लेकर आया और गालियां देकर मारपीट की। दोनों आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन

लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण से संपत्ति जप्ती उपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपी बल्लमदास के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जबकि किशोर आरोपी राजेन्द्रदास के विरुद्ध प्रकरण किशोर न्यायालय बालाघाट में पेश किया गया।

03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में यह प्रतिरक्षा ली है कि उसे पुरानी रंजिश वश झूठा फसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 03.09.2013 को समय दिन 04:00 बजे ग्राम आमगहन कच्चा रोड अंतर्गत थाना गढ़ी में परिवादी दरबारी को क्षोभ कारित करने के आशय से मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर प्रार्थी/आहत को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर प्रार्थी/आहत को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1

05. परिवादी दरबारीसिंह (अ0सा0-1) का कहना है कि घटना दिनांक 03.09.13 को दोपहर के समय की है। वह खेत में रखी लकड़ी को देखने गया तो देखा कि की लकड़ी वहां पर नहीं थी। खोजबीन करने पर सुबह आरोपी बल्लमदास के घर पर मिली। लकड़ी उसकी होने की बात कहने पर आरोपी ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी। साक्षी के अलावा अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने कथन में अभियुक्त बल्लमदास द्वारा गालियां देने अथवा अश्लील शब्द उच्चारित करने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दी है। घटनास्थल गांव की रोड होकर लोक स्थान दर्शित है। लेकिन दरबारीसिंह (अ0सा0-1) ने उच्चारित अश्लील शब्द उसके कथन में नहीं बतलाये हैं और अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। न्याय दृष्टांत- शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता 2005(4)एम.पी.एल.जी.330 तथा बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997(2) 224. के अनुसार केवल अश्लील

गालियां धारा-294 भा.दं.सं. के अपराध को गठित नहीं करती। उक्त वैधानिक स्थिति के प्रकाश में यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त बल्लमदास ने परिवादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा अन्य को क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06. परिवादी दरबारीसिंह (अ0सा0-1) का कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा घटना दिनांक 03.09.13 को दोपहर के समय की है। वह खेत में रखी लकड़ी को देखने गया तो देखा कि लकड़ी वहां पर नहीं थी। खोजबीन करने पर सुबह आरोपी बल्लमदास के घर पर मिली। लकड़ी उसकी होने की बात कहने पर आरोपी ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी और कहा कि लकड़ी उसकी है, फिर उसने लकड़ी से पैर तथा पीठ में चोट पहुंचायी जिसके बाद उसका लड़का राजेन्द्र आया और उसने भी गंदी-गंदी गालियां देकर उसके साथ लकड़ी से मारपीट की। गालियां उसे सुनने में बुरी लगी थीं और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिये थे। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना गढ़ी में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में उसका मुलाहिजा हुआ था। पुलिस घटनास्थल पर आयी थी। दूसरे दिन उसकी निशांदाही पर मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि पुलिस ने दिनांक 05.09.13 को मौकानक्शा नहीं बनाया था। घटना गांव के रोड पर हुई थी। घटना के समय बिसनसिंह था तथा आवाज सुनकर अन्य लोग भी इकट्ठा हो गये थे। गांववालों के समझाने पर वह लोग अपने-अपने घर चले गये। पुरानी रंजिश के कारण उक्त विवाद हुआ था और गांववालों के समझाने पर दूसरी घटना नहीं हुई। वह परिवार एवं गांव के लोगों के साथ जिसमें बी.डी.सी. बक्कलसिंह धुर्वे भी था, थाने में रिपोर्ट करने गया था परंतु बक्कलसिंह ने घटना नहीं देखी थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को अस्वीकार किया है कि पुरानी रंजिश होने के कारण उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी थी। साक्षी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। साक्षी के कथनों और प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास या लोप नहीं है तथा घटना के संबंध में साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय है।

07. बिसनसिंह (अ0सा0-8) का कथन है कि वह आरोपीगण तथा आहत को जानता है एवं घटना उसके साक्ष्य देने से करीब तीन वर्ष पूर्व शाम करीब 04:00 बजे ग्राम आमगहन भगवंत के घर के पास की है। घटना के समय आरोपी बल्लमदास दरबारीसिंह को लकड़ी से मार रहा था। फिर उसने जाकर झगड़े में बीच बचाव किया था। जिसके बाद आरोपी बल्लमदास अपने घर चला गया। घटना में दरबारीसिंह को पीठ पर चोट आयी थी। जिसके बाद उसने दरबारीसिंह को ले जाकर उसके घर छोड़ दिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बल्लमदास द्वारा दरबारीसिंह को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के तथ्यों से इंकार किया है। साक्षी ने राजेन्द्रदास द्वारा दरबारीसिंह को लकड़ी से मारने की बात से इंकार कर कथन किया है कि झगड़े में बल्लमदास तथा उसका लड़का दोनों थे परंतु उसने राजेन्द्रदास को मारते हुए नहीं देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष कोई घटना नहीं हुई थी और वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी के कथन है कि उसने बल्लमदास को मारते हुए देखा था। इस प्रकार साक्षी के कथनों से परिवादी से मारपीट की पुष्टि होती है। उक्त संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है। जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। घटना के अन्य साक्षी लालमनीबाई (अ0सा0-2) तथा भगवंतसिंह (अ0सा0-3) पक्षद्रोही रहे हैं, जिन्होंने घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर पुलिस को बयान न देना व्यक्त किया।

08. नंदू यादव (अ0सा0-4) का कथन है कि घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग डेढ़ से दो वर्ष पूर्व की है। पुलिस ने उसके समक्ष बल्लमदास से प्र.पी.03 के अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। राजेन्द्रदास से जप्त होने की उसे जानकारी नहीं है परंतु प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष बल्लमदास और राजेन्द्रदास को गिरफ्तार नहीं किया था परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 एवं 06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसने जप्ती पत्रक तथा गिरफ्तारी पत्रक पर थाने में दस्तखत किये थे। जिन्हें उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था वह जल्दबाजी में था। उसे दस्तखत करने के लिए कहा गया तो वह दस्तखत कर चला आया। जप्तशुदा लकड़ी थाने में कौन कहां से लाया वह नहीं बता सकता। जप्ती

गिरफ्तारी साक्षी परसराम (अ0सा0-7) पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है। जिसने उसके समक्ष किसी प्रकार की कोई जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही से इंकार कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं 04 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 एवं 06 के दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर नहीं होना व्यक्त किया। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

09. डा. एन.एस.कुमरे (अ0सा0-6) का कथन है कि दिनांक 04.09.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में थाना गढ़ी से आरक्षक सोनसिंह क्रमांक 456 द्वारा आहत दरबारीसिंह को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा परीक्षण कर दाहिने पैर और बायें पैर पर कंटीयूजन एवं पीठ पर बांयी तरफ एब्रेजन पाया था। बायें पैर की चोट हेतु एक्सरे की सलाह दी गयी थी। शेष चोट साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की थी तथा कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित थीं। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत का एक्सरे करवाया गया था जो आर्टिकल ए-1 है जिसमें उसने किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं पाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इंकार किया है कि उक्त चोटें कड़ी व खुरदुरी सतह पर गिरने से आ सकती हैं। उक्त साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय आहत को उसके बताये अनुसार चोटों की पुष्टि होती है।

10- जी.एल.चौधरी (अ0सा0-5) का कथन है कि दिनांक 04.09.13 को थाना गढ़ी में पदस्थापना के दौरान सूचनाकर्ता दरबारीसिंह की सूचना पर आरोपी बल्लमदास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा लेख की गयी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा आहत दरबारीसिंह का मुलाहिजा फार्म प्र.पी.07 भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भिजवाया था। दिनांक 05.09.13 को दरबारीसिंह की निशांदाही पर मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था। दिनांक 16.09.13 को आरोपी बल्लमदास से गवाह नानुदास, परसराम गौतम के समक्ष एक बांस की लकड़ी तीन फिट गोलाई 3.6 इंच प्र.पी.03 के अनुसार जप्त की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी बल्लमदास के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजेन्द्रदास से एक बांस की लकड़ी प्र.पी.04 के अनुसार जप्त की थी जिसके बी से बी भाग पर आरोपी राजेन्द्रदास के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण राजेन्द्रदास एवं बल्लमदास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 एवं 06 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपीगण के

हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान दरबारीसिंह, भगवंत, लालमणि, बिसनसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन थाना प्रभारी को पेश कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे प्रार्थी ने लिखित रिपोर्ट दी थी तथा उसने प्रार्थी के बताये अनुसार दर्ज न कर रिपोर्ट अपने मन से दर्ज किया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि मौकानक्शा प्र.पी.02 थाना बैहर में बैठकर बनाया गया था और गवाहों के कथन अपने मन से लेख किये गये थे। यद्यपि जप्ति तथा गिरफ्तारी साक्षी नंदू यादव अ0सा04 एवं परसराम अ0सा07 पक्षद्रोही रहे हैं। तथापि विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है। जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। क्योंकि आरोपी से विवेचक साक्षी का कोई विद्वेष दर्शित नहीं है।

11. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा घटना के संबंध में यह तर्क किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में आरोपी से पुरानी रंजिश के कारण वर्तमान विवाद होना स्वीकार किया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि पुरानी रंजिश वश परिवादी द्वारा अभियुक्त को झूठा फसाया गया है। परिवादी दरबारी अ0सा01 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 के अवलोकन से रंजिश के संबंध में उसकी स्वीकृति दर्शित होती है। परंतु वर्तमान घटना के संबंध में परिवादी की साक्ष्य अखण्डनीय है जिसकी अन्य अभियोजन साक्ष्य से भी पुष्टि होती है। पुरानी रंजिश दो धारी तलवार की तरह है जिसका प्रयोग यदि परिवादी द्वारा अभियुक्त को फसाने के लिए किया जा सकता है तो अभियुक्त द्वारा भी उसका लाभ लेकर ऐसी घटना कारित की जा सकती है जिससे उक्त तर्क से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जहां तक बचाव पक्ष के प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का तर्क है, उक्त संबंध में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का जो कारण दिया गया है वह उचित है क्योंकि घटनास्थल से थाने की दूरी करीब 14कि.मी. है। घटना शाम करीब चार बजे की है तथा घटना के दौरान परिवादी को पैर में चोटें आना दर्शित हैं। परिवादी के गांव से पुलिस थाना गढ़ी तक दिन के पश्चात आवागमन के समुचित साधन दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पुरानी रंजिश वश विचार विमर्श के पश्चात दर्ज की गयी। क्योंकि साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी अभियुक्त द्वारा ऐसे कोई तथ्य नहीं लाये गये हैं। फलतः उक्त तर्क से भी अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

12. परिवादी दरबारीसिंह अ0सा01 की साक्ष्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से उसकी पुष्टि, डां.कुमरे अ0सा06 की चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी

दरबारी के चोटों की पुष्टि, साक्षी बिसनसिंह अ0सा08 की साक्ष्य से परिवादी के कथनों की आंशिक पुष्टि से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त बल्लमदास ने परिवादी दरबारीसिंह को लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

13. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। परिवादी दरबारी अ0सा01 ने अभियुक्त बल्लमदास तथा किशोर आरोपी राजेन्द्र द्वारा जाते-जाते जान से मारने की धमकी देने के कथन किये हैं। परंतु साक्षी ने ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं जिससे यह दर्शित हो कि आरोपी के उक्त कथनों से उसे किसी प्रकार का अभित्रास कारित हुआ हो। परिवादी के आचरण से भी ऐसा दर्शित नहीं है। न्याय दृष्टांत-अमूल्य कुमार बेहरा विरुद्ध नबघना बेहरा 1995 सी.आर.एल.जे.3559(उडीसा). के अनुसार अभित्रास कारित करने के लिए किसी आशय के बिना शब्दों की मात्र अभिव्यक्ति धारा-506 भा. दं0सं0 को काम में लाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। परिवादी के अलावा किसी भी अन्य साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा परिवादी दरबारीसिंह को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

14. अतः अभियुक्त को धारा-294, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त को धारा-323 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है।

16. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त को सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

बैहर बालाघाट म0प्र0

17. दण्ड के बिंदु पर अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण विगत चार वर्षों से लंबित है, जिसमें वह नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है। वह प्रथम अपराधी हैं तथा परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है जिस पर सम्पूर्ण परिवार आश्रित है। अतः उसके विरुद्ध नर्म रुख किया जावे। तर्कों पर विचार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण विगत चार वर्षों से

न्यायालय में लंबित है। जिसमें अभियुक्त उपस्थित होता रहा है। लेकिन उसने जिस तरह से मामूली विवाद पर परिवारी को मारपीट कर उपहति कारित की है उसे देखते हुए उसे अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना या उनके विरुद्ध नर्मरुख लिया जाना उचित नहीं होगा। अपितु उसे एक शिक्षाप्रद दण्ड देना उचित होगा।

18. अतः अभियुक्त बल्लमदास पिता तिलकदास को धारा-323 भा0द0सं0 में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000/- (एक हजार) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

19. अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं0प्र0सं0 के तहत परिवारी दरबारीसिंह पिता सहदेव उड़के को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

20. प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं रहा है। इसके बारे में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर लगाया जावे।

21. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बांस की लकड़ी मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

22. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23. अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा 363(1) दं0प्र0सं0 के तहत निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)